

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

॥ शुद्धि पत्र ॥

संख्या-11/न0वि0/विविध-10/2025 612/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 7 के परन्तुक के प्रावधान के आलोक में राज्य के पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर क्षेत्र के लिए नगर निकाय यथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के रूप में गठित किए जाने हेतु अवधारित जनसंख्या (नगर निगम-1,50,000 से अधिक, नगर परिषद-30,000 से अधिक तथा 1,50,000 तक एवं नगर पंचायत 9000 से अधिक 30,000 तक) निर्धारित करते हुए अधिसूचना निर्गत की गई, जिसमें भूलवश अधिसूचना में 2145 के स्थान पर 2148 अंकित हो गया है।

2. उक्त विभागीय अधिसूचना में अंकित 2148 के स्थान पर 2145 पढ़ा एवं समझा जाए।

3. उक्त अधिसूचना का शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Raj 11.3.2025
(राजेश्वर राज)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-11/न0वि0/विविध-10/2025 612/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-11.03.25

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

Raj 11.3.2025
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-11/न0वि0/विविध-10/2025 612/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-11.03.25

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Raj 11.3.2025
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-10 न0वि0/विविध-27/2022- 2148 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 7 के परन्तुक के प्रावधान के तहत राज्य के पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित जनसंख्या अवधारित की जाती है :-

क्रमांक	नगरपालिका का स्तर	पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए अवधारित जनसंख्या
1	नगर निगम	1,50,000 से अधिक
2	नगर परिषद्	30,000 से अधिक तथा 1,50,000 तक
3	नगर पंचायत	9,000 से 30,000 तक

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-10 न0वि0/विविध-27/2022-2145/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-10/8/22

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-10 न0वि0/विविध-27/2022-2145/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-10/8/22

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-10 न0वि0/विविध-27/2022-

/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना/निदेशक,
जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।